आलय

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप./ पत्रावलीवास्ते आदेश

प्रार्थना पत्र धारा 251A RTA नियत है/ पत्रावली में

वर्णित तथ्यों, तहसीलदार भिनाय निशान मौका रिपोर्टमय,

जवाब, राजस्व जमाबन्दीयों तथा नक्शों के गहनता से

अवलोकन तथा वकील प्रार्थी का मनन किया गया/

दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 251A RTA

मे लिखित कथनों को दौहराते हुये कथन किये कि

प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात ख. नं. 2631 मे हकाई-

जुवाई आदि कामों के लिये ख.नं. 2628 तथा

2629 मे से पुरखों के समय से ही आते जाते रहे है।

अतः उक्त खसरा नम्बरान में रास्ता दर्ज करने

के आदेश प्रदान कराये जावे/ पत्रावली मे वकील

प्रार्थी को सुना गया/ पत्रावली में उपलब्ध जवाब

तहसीलदार भिनाय मय मौका रिपोर्ट का अवलोकन

करने पर पाया गया कि प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर

लगातार-

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, भिनाय जिला–केकड़ी(राज0)

प्रकरण संख्या– 78/2023

....बनाम..

अन्तर्गत धाराः–..

म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्य जज	
	2629 रकबा 0.07 से भी रास्ता चाहा गया है, जो खाता सं. 1 सिवायचक दर्ज होकर किस्म चाह. दर्ज है। जिससे खसरा नम्बर 2629 से नियमानुसार रास्ता देय नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा वान्छित रास्ता खसरा नम्बर 2629 किस्म चाह दर्ज होने से, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अनुतोष योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर 1 नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 3/11/24 को बरैइजलास सुनाया गया। SDO, BHINAY	